न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी / अपीलार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, हरणी अमरापुरा, पंचायत समिति रेवदर, जिला- सिरोही
2. उप सरपंच, ग्राम पंचायत, हरणी अमरापुरा, पंचायत समिति रेवदर, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी / प्रत्यर्थी

1. अभय सिंह उर्फ अबसिंह पुत्र पनेसिंह जी, जाति- राजपूत, निवासी- हमीरपुरा, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला- सिरोही

प्रार्थना पत्र संख्या: 60/2021

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री उमाराम देवासी, प्रार्थी अपीलार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री दिनेश सुराणा, अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या-1 (एक) की ओर से
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या- 2 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 22 मार्च, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी अपीलार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार, रेवदर द्वारा अप्रार्थी/प्रत्यर्थी अभय सिंह पुत्र पन्नेसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- हमीरपुरा के पक्ष में जारी भूमि नियमन आदेश क्रमांक/राजस्व/13/948-51 दिनांक 26.6.2013 के विरुद्ध अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रत्यर्थी/अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या-1 (एक) की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश सुराणा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या-2 की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई। प्रकरण में प्रत्यर्थी/अप्रार्थी संख्या-1(एक) की ओर से लिखित जवाब भी प्रस्तुत नही हुआ।

(3) उभय पक्ष की बहस दिनांक 07.3.2022 को सुनी गई। प्रार्थी अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रत्यर्थी अभयसिंह उर्फ अबसिंह पुत्र पनेसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- हमीरपुरा के पक्ष में ग्राम हमीरपुरा के खसरा संख्या 1054/1278 में [illegible] 0.06 [illegible] दिनांक 26.6.2013 को वाडा आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन आदेश [illegible] गया है। वाडा आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि उन्ही लोगों [illegible] पूर्व में रहने के

......पे[illegible]र

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:12:53 IST
Reason: SelfAttested

अति. जि. [illegible]
सिरोही (राज.)

लिये कोई भूमि नही हो अर्थात् ऐसा व्यक्ति भूमिहीन हो। अप्रार्थी अभय सिंह सक्षम व्यक्ति है तथा उसके पास वक्त आवंटन दिनांक 26.6.2013 को स्वयं व अपनी पत्नि के नाम से करीब 45 बीघा भूमि है एवं एक आवासीय मकान मय परिसर करीब एक बीघा को धारण किये हुये हे। अप्रार्थी अभयसिंह ने ग्राम हमीरपुरा के खसरा संख्या 1054 में से 0.03 बीघा भूमि को तहसीलदार, रेवदर के आदेश क्रमांक:राज./84/368-70 दिनांक 13.3.1984 के द्वारा आवंटित करवाई गई उसके बाद नामान्तरकरण संख्या 604 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाई। जिला कलक्टर महोदय, सिरोही द्वारा राजस्व निगरानी संख्या 121/89 में निर्णय दिनांक 23.10.1989 के द्वारा दिनांक 13.10.1984 को आवंटित 0.03 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त किया गया। अप्रार्थी अभयिंह को पूर्व में आवंटित भूमि दिनांक 13.10.1984 को जिला कलक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांक/राजस्व/89/1304 दिनांक 07.12.1989 की पालना में 2/- रुपये प्रति वर्गफीट से उक्त भूमि को अप्रार्थी अभयसिंह को पुनः आवंटित हुई जो नामान्तरकरण संख्या 695 दिनांक 16.3.1991 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हुई। अप्रार्थी अभयसिंह ने वर्ष 1984 में आवंटित हुई भूमि को सुरेश कुमार पुत्र सांकलचंद व संतोषबेन पत्नि सुरेश कुमार जैन, निवासी- दांतराई को 1/2 हिस्सा बेचान कर दिया जिसका नामान्तरकरण संख्या 974 के द्वारा रेकर्ड में अमल दरामद हो चुका है एवं शेष 1/2 हिस्सा भी अन्य व्यक्ति को बेचान कर दिया है। अप्रार्थी संख्या-1 ने गलत दस्तावेज व तत्कालीन हल्का पटवारी से मेल मिलाप कर कब्जा नही होते हुए भी धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कब्जे बाबत दस्तावेज बनवाकर तहसीलदार, रेवदर के आदेश क्रमांक/राजस्व/13/948-51 दिनांक 26.6.2013 से ग्राम हमीरपुरा के खसरा संख्या 1054/1278 में रकबा 0.06 बीघा भूमि आवासीय वाडा प्रयोजनार्थ नियमन करवाई है, जो तत्कालीन नायब तहसीलदार, रेवदर से मेल मिलाप कर गलत नियमन करवाई है, जबकि अप्रार्थी अभयसिंह भूमि के नियमन का पात्र व्यक्ति नही है। अप्रार्थी अभयसिंह का कब्जा पूर्व में उसको वर्ष 1984 में आवंटित 0.03 बीघा भूमि पर ही था, इसके अलावा अन्य किसी राजकीय भूमि पर अप्रार्थी अभयसिंह का कब्जा नही रहा है। अप्रार्थी अभयसिंह उर्फ अबसिंह का कृत्य सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना सरकारी दस्तावेजों में बताकर भूमि का नियमन करवाकर भूमि को बेचकर लाभ प्राप्त करने का रहा है। अप्रार्थी अभयसिंह का खसरा संख्या 1054 की भूमि पर पूर्व से कब्जा होने के संबंध में कोइ दस्तावेज नही है उसके बाद भी अप्रार्थी अभय सिंह के पक्ष में खसरा संख्या 1054/1278 रकबा 0.06 बीघा भूमि का विधि विरुद्ध नियमन किया गया है, जिसकी पुष्टि भू अभिलेख निरीक्षक, दांतराई द्वारा तहसीलदार, रेवदर को प्रेषित जांच रिपोर्ट दिनांक 22.12.2020 से होती है। यह कि अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने से 10 दिन पूर्व अप्रार्थी अभयसिंह उर्फ अबसिंह द्वारा जबरदस्ती आकर ग्राम पंचायत के रेवदर जसवन्तपुरा रोड किनारे आई ग्राम पंचायतों की दुकानों के पीछे अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश करने पर ग्राम पंचायत ने सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित [illegible] कार्यवाही करने के लिये नियुक्त करने पर प्रार्थीगण ने अपीलाधीन [illegible] 26.6.2013 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर प्रार्थीगण [illegible] के 30 दिन के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:12:53 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज तीन पर

अति. [illegible]
सिरोही [illegible]

प्रार्थना पत्र संख्या: 60/2021

भीतर बिना किसी देरी के अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलार्थीगण की कोई बदनियति या लापरवाही नही रही है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त R.R.D.Feb.,2007 Page 99 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी अभय सिंह ने सही तथ्यों को छुपाते हुए कपट व दुर्व्यपदेशन से भूमि का नियमन करवाया है। जहां कपट व दुर्व्यपदेशन से कोई आदेश जारी होता है। ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील किसी भी समय की जा सकती है। अतः उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जावे। जबकि अप्रार्थी अभय सिंह के अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि तहसीलदार, रेवदर द्वारा अप्रार्थी अभयसिंह के पक्ष में ग्राम हमीरपुरा के खसरा संख्या 1054/1278 रकबा 0.06 बीघा भूमि का आवासीय वाडा प्रयोजनार्थ नियमन आदेश क्रमांक 948-51 दिनांक 26.6.2013 को विधि अनुरुप जारी किया गया है। अपीलार्थीगण को यह अपील प्रस्तुत करने का कोई हक अधिकार नही है, क्योंकि अप्रार्थी अभयसिंह के पक्ष में नियमन की गई भूमि ग्राम पंचायत, हरणी अमरापुरा की भूमि नही होकर राजकीय बिलानाम भूमि थी एवं इस भूमि पर अप्रार्थी अभय सिंह का पुराना कब्जा था एवं पुराने कब्जे के आधार पर तहसीलदार, रेवदर ने राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों के अनुरुप नियमानुसार नियमन आदेश जारी किया है। अप्रार्थी अभयसिंह के पास पूर्व से कोई भूमि नही थी एवं न ही अप्रार्थी अभयसिंह के पास 45 बीघा भूमि वक्त नियमन उपलब्ध थी। उप सरपंच, ग्राम पंचायत, हरणी अमरापुरा बलवन्तसिंह को भी 10 बिस्वा भूमि सडक सीमा से लगती हुई दिनांक 06.12.2007 को आवंटित हुई है उसके खसरा संया 520/1242 है। प्रार्थी बलवन्तसिंह जो ग्राम पंचायत, हरणी अमरापुरा का उप सरपंच है के पास 90 बीघा खातेदारी भूमि है। अपीलार्थीगण ने यह अपील राजनैतिक चुनावी रंजिश की वजह से इस न्यायालय में बदनियति पूर्वक प्रस्तुत की है। हरणी अमरापुरा ग्राम पंचायत का गठन वर्ष 2020 में हुआ है। हमीरपुरा ग्राम पहले जीरावल पंचायत में था। अप्रार्थी अभयसिंह के पक्ष में दिनांक 26.6.2013 को रकबा 0.06 बीघा भूमि आवंटित हुई उससे पूर्व मौके पर कब्जे के संबंध में मौका निरीक्षण किया जाकर मौका फर्द दिनांक 26.5.2011 को तैयार की गई थी, इस मौका फर्द दिनांक 26.5.2011 पर अप्रार्थी अभय सिंह के उक्त भूमि पर कब्जे की ताईद के संबंध में ग्राम पंचायत, हरणी अमरापुरा के उप सरपंच श्री बलवन्तसिंह ने हस्ताक्षर किये थे तब से उक्त भूमि आवंटन की उप सरपंच श्री बलवन्तसिंह को जानकारी लगातार रही है। अप्रार्थी अभयसिंह के अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त 2019(3) DNJ(Raj.) Page 1252, 2020(3)DNJ (Raj.) Page 773, 2020(3)DNJ(Raj.) 697 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि अपीलार्थीगण ने अपील प्रस्तुत करनें में हुए विलम्ब की अवधि के प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण नही दर्शाया है। भूमि का नियमन हुये करीब 8 वर्ष से अधिक अविध हो चुकी है एवं 8 वर्ष के विलम्ब की अवधि को कन्डोन किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण व आधर प्रार्थीगण ने नहीं दर्शाया ... प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:12:53 IST
Reason: SelfAttested

अति... कलक्टर
सिरोही (राज.)

किया जावे। अप्रार्थी अभयसिंह के अधिवक्ता के कथनों के जवाब में अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि कपट व दुर्व्यपदेशन से जारी कुटरचित आदेशों के विरुद्ध अपील किसी भी समय प्रस्तुत की जा सकती है। यह अपील ग्राम पंचायत, हरणी अमरापुरा की ओर से प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलार्थी सरपंच, ग्राम पंचायत, हरणी अमरापुरा भी है जिसको प्रश्नगत नियमन आदेश दिनांक 26.6.2013 के संबंध में पूर्व से जानकारी नही थी। मौके पर जब अप्रार्थी अभयसिंह कब्जा करने आया तब प्रार्थीगण को प्रश्नगत आदेश की जानकारी हुई। बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि तहसीलदार, रेवदर द्वारा भूमि नियमन का जो आदेश जारी किया है वह राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरुप किया है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि तहसीलदार, रेवदर के नियमन आदेश क्रमांक/राजस्व/13/948-51 दिनांक 26.6.2013 के द्वारा अभयसिंह पुत्र पन्नेसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- हमीरपुरा, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही के पक्ष में ग्राम हमीरपुरा, ग्राम पंचायत, जीरावल, तहसील- रेवदर के खसरा संख्या 1054/1278 रकबा 0.06 बीघा भूमि का बाडा/आवास गृह हेतु नियमन आदेश जारी किया गया है। तहसीलदार, रेवदर द्वारा जारी इस नियमन आदेश दिनांक 26.6.2013 को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थीगण ने इस न्यायालय में दिनांक 10.2.2021 को अपील प्रस्तुत की है, जो 7 वर्ष 7 माह से अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत यह प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थीगण ने धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में तहसीलदार, रेवदर द्वारा अप्रार्थी अभयसिंह के पक्ष में जारी उक्त नियमन आदेश दिनांक 26.6.2013 के संबंध में सर्वप्रथम जानकारी यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने से 10 दिन पूर्व होना अंकित करते हुए जानकारी तिथि से अन्दर मियाद 30 दिन में अपील प्रस्तुत करना अंकित किया है। जबकि प्रकरण में अप्रार्थी अभयसिंह की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि तहसीलदार, रेवदर के आदेश क्रमांक 194 दिनांक 10.2.2011 की पालना में अभयसिंह पुत्र पनेसिंह राजपूत, निवासी- हमीरपुरा की नियमन पत्रावली के संबंध में भू अभिलेख निरीक्षक, रेवदर एवं हल्का पटवारी, जीरावल द्वारा दिनांक 26.5.2011 को मौका निरीक्षण किया गया जिसकी मौका फर्द तैयार की गई। इस मौका फर्द दिनांक 26.5.2011 में ग्राम हमीरपुरा के खसरा संख्या 1054 में रकबा 0.10 बीघा भूमि पर अभयसिंह पुत्र पनेसिंह राजपूत, निवासी- हमीरपुरा का कब्जा होना अंकित किया है एवं इस मौका फर्द पर मौतबिर के रुप में ग्राम पंचायत, हरणी अमरापुरा के वर्तमान उप सरपंच श्री बलवन्त सिंह (अपीलार्थी संख्या-2) के हस्ताक्षर है। इससे यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलार्थी उप सरपंच, ग्राम पंचायत, हरणी अमरापुरा को तहसीलदार, रेवदर द्वारा अप्रार्थी अभयसिंह के पक्ष में जारी नियमन आदेश क्रमांक:राजस्व/13/948-51 दिनांक 26.6.2013 के संबंध में दिनांक 26.5.2011 से ही जानकारी थी, लेकिन उसके बावजूद अपीलार्थीगण द्वारा उक्त नियमन

....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:12:53 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

आदेश दिनांक 26.6.2013 के विरुद्ध 7 वर्ष 7 माह से अधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है तथा अपीलार्थीगण ने धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि के प्रत्येक दिन का कोई युक्तियुक्त कारण भी नही दर्शाया है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तद्नुसार अपीलार्थीगण की अपील को भी मियाद बाहर होने से खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:12:53 IST
Reason: SelfAttested